

FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated 24/02/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt0 dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of the linear project, it is certified that 2.3975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Nandprayag Ghat Motor Road k.m 15 to jakhni Motor Road under PMGSY in Chamoli** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of Village **jakhni Village in Ghat Tehsils.**

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.3975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meeting of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and District level Committee are enclosed.
- b) The Diversion of forest land for facilities manage by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabha's have given their consent to it;
- c) The proposal does not involve recognised right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

वसनी

प्रभागीय वनाधिकारी
बटीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

Office of the District Collector,

District-chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand) constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Swati S. Bhaduria (IAS), District Magistrate, Chamoli(Uttrakhand) on 24-02-2019 at15.00 hrs at chamoli in which the application claiming rights in **Jakhani, Kanda village in Ghat Tehsil**, area measuring **2.3975ha** for the **Construction of Nandprayag Ghat km 15 to Jakhani motor road under PMGSY in chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub-Division Level committee of Ghat teshil were discussed to consider the same for admission by the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



District Magistrate - cum-
 Chairman, District Level
 Committee, Chamoli
स्वति भादुरिया
चमोली

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत -1-^{नदी} प्रथा- धार KM 15 से जाखी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति-

उपखण्ड परिषेत्र के अन्तर्गत न-प्रयाग धाट मो.मा. कि.मि. 15 से जाखी

गाँव (०.०० हेक्टर) आरक्षित वन भूमि २.३९७५ हेक्टर सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.०० हेक्टर वन पंचायत गृह अर्थात कुल २.३९७५ हेक्टर वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (वहसील- धाट) की दिनांक २० - २ - २०१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक स्थापित करना) अनुसूचित उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की सुपरिथित निमानुसार है:-

१	मुख्य अधिकारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
२	श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
३	श्री लुनील के. ए	सहाय समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव समाज कल्याण अधिकारी
४	श्री विजय तामा	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य विकास बैठक चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में रखागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुर्ध्वांतर से बैठक में कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि न०.धी०१० मौजूदा कि.मि. १५ से जाखी मोटर मार्ग परियोजना हेतु २.३९७५ हेक्टर भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, छटीनाम द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जनकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकारण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(2)

32

मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2,33,75 है 0 बन
गुण गुण विकास विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सशम्भव प्राधिकारी द्वारा अधिकारी प्राप्त कर प्रत्यावर्तीति किये
जाने पर सहमति घोषित की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति
तहसील - मोली (इट)
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति
तहसील - (इट) - चमोली
जनपद - चमोली

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नं.-५४५१७। द्याट में सां के क्र. नं. १५ से जाखली
मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को
हस्तान्तरण।

दिनांक २० - २-२-१९ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

१ श्रुशी बुशरा असारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह०/ व्हर
२ श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	अ.
३ श्री गुरील नौरी	सहाय समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	सहाय समाज कल्याण अधिकारी दिवाली बैठक बार २२/०१/२०२१ चमोली
४ श्री कृष्णलाल देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य	सदस्य

रु००२

मनोज सिंह कठेत (मनोज)

ग्राम प्रधान
जिला अध्यक्ष
प्रधान संगठन चमोली

34


निवास:

ग्राम - जाखड़ी,
पो.ओ.- सेरा, वि.ख. चाट जिला चमोली
मो.: 9997799970, 7500301920

दिनांक 18.01.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18.01.2019 को ग्राम पंचायत जाखड़ी की आज बैठक, आहुत की गयी, जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग छाट किलो 15 से जाखड़ी गोटर भारी के निर्माण में ग्रामवासियों की जो श्रमिक अधिग्रहण की जायेगी वह श्रमिक ग्राम वासी स्कैच से प्रदान करने को तैयार हैं एवं ग्रामवासियों को किसी श्री प्रकार की आपत्ति नहीं है,



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण वाले के लिए जारी होने वाली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रस्य विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रगाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जारकणी
तहसील धाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जारखणी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (०.०७ हेतु आरक्षित वन भूमि, ०.३१८८ हेतु सिविल सोयम भूमि..... हेतु, वन पंचायत भूमि ०.०० हेतु) अर्थात कुल १.३७५ हेतु वन भूमि का कानूनी दस्तावेज़ कार्यप्रणाली विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाखणी द्वारा दिनांक/01.01.2015 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —जारखणी— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पर इन्हीं लक्षणों के अनुसार एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित



ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी०ए०जी०ए०स०वाई० के अन्तर्गत नुस्खप्रधारण घाट सॉटर बाग
के लिए १५ सेखाली मोटर मार्ग का निर्माण।

जारी

आज दिनांक १८.०१.२०१० को ग्राम सभा कम्बल की आम बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नुस्खप्रधारण घाट सॉटर मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी वेक्षा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।




मुहर सहित

✓

दिनांक 18.01.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पंचायत का नाम :- जाखण

क्रमसंख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मुख्यमंत्री कौरते	DR
2.	देवन्दु सिंह नेहरी	Dewangi
3.	वीरन्दु सिंह पटवाणी	Virendu
4.	उदय सिंह नेहरी मलल कांडा जाखणी	Uday Singh
5.	आनन्द कौरते	Aanand Singh
6.	देवी लाल	Devi Lal
7.	रमाध्वर कौरते	Ramdhwar
8.	रघुवर परिहार	Raghuvir
9.	गुरुराध्वर	Guru Radhar
10.	धनेश	Dhanesh
11.	जगद्वापाल हांडी	Jagadwopal
12.	अमराध्वर	Amara Singh
13.	मुकुल परिहार नेहरी	Mukul
14.	यशपाल परिहार कौरते	Yashpal
15.	सुरजाध्वर	Surj Singh
16.	इ-कृष्ण	Ishwar Singh
17.	देवपरिहार कौरते	Dev Singh
18.	पतापरिहार नेहरी	Pata Pal Singh
19.	प्रभाध्वर चिह्न	Prem Singh
20.	दिलवर सिंह विहरी	Dilawar Singh
21.	द्वारका दुलारी छोड़े परिहार जाखणी	Dwarka Dularee
22.	देवा सिंह नेहरी	Devaa Singh
23.	अगत सिंह रवती	Agat Singh Ravati
24.	अगवती प्रसाद पुरीति	Agavati Prasad
25.	शिवप्रसाद मुख्यमंत्री रामेश	Shivprasad Mukhyamantri
26.	वंखी लाल	Vankhi Lal
27.	वीर सिंह करस्वाणी	Veer Singh Kariswani
28.	लक्ष्मी प्रसाद पुरीति	Lakshmi Prasad
29.	पुरुषनाथ पुरीति	Purusheenath
30.	अश्विनी विहरी लक्ष्मी	Ashvini Vihari
31.	सुजेय विहरी लक्ष्मी	Sujeay Vihari
32.	प्रेम विहरी नेहरी	Prem Vihari
33.	-चन्द्रगोहल सिंह	Chandragohal Singh
34.	पूजाशास्त्री	Pooja Shastri



अन्तर्पति प्रभाग पत्र

आज दिनांक 27.01.2019 को ग्राम पंचायत किंगर की आष सुडूल आदत को जयो , जिसमें सर्वे वर्षभति हे यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सुडूल योजना के अन्तर्गत नन्दप्रधान छाट किशी 15 से जाक्की गोटर भार्ड के लिए ग्राम वासियों को जो भी श्रमिक और ग्राम की जायेगी, वह श्रमिक ग्राम वासी स्वेच्छा हे प्रदान करने को तैयार हैं, एवं ग्राम वासियों को लियी श्री प्रकार की आपति नहीं है,



परियोजना का नामः-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिजार

तहसील घाट, जिला चमोली

अनापति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जाखणी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000हेठो आरक्षित वन भूमि 2.3975 हेठो सिविल सोयम भूमि हेठो, वन पंचायत भूमि 0.00हेठो) अर्थात कुल 2.3975 वन भूमि का पी.एम.जी.एस.वाई विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिजार द्वारा दिनांक 27.01.2019 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिजार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी.एम.जी.एस.वाई कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



हेठो-

ग्राम सचिव

मुहर सहित



आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी०ए०जी०ए०स०वाई० के अन्तर्गत नुङ्गप्रभाग छाट लो० भागी छि
क्किला० १५ से जात्वा० मोटर मार्ग का निर्माण।

विज्ञार
 आज दिनांक २७/०१/२०१० को ग्राम सभा क्लॉल की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नुङ्गप्रभाग छाट लो० भागी छि
 मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



दिनांक २३/०८/२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पचायत का नाम :- लिजार

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र सभलाल	राजेन्द्र लिजार
2-	बूद्धेन्द्र लाल	बूद्धेन्द्र
3-	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र
4-	उमाल कुमार	उमाल
5-	शशुपाल	शशुपाल
6-	जीतेन्द्र कुमार	जीतेन्द्र
7-	पुष्पादेवी	पुष्पादेवी
8-	रघुभग लाल	रघुभग
9-	प्रकाश चंद्र	प्रकाश
10-	राजेन्द्र सिंह रावत	राजेन्द्र सिंह
11-	प्ररत हिंदु रावत	प्ररत
12	कुन्ती देवी	कुन्ती देवी
13-	सुपिया राम रामा	सुपिया
14-	प्रताप चंद्र	प्रताप
15-	दिवेश यिंद	दिवेश
16-	पत्नी देवी	पत्नी देवी
17-	सरस्वती देवी	सरस्वती
18-	गीता देवी	गीता देवी
19-	देवकी देवी	देवकी देवी
20-	नरेश	नरेश
21.	देवनंद पाल	देवनंद
22.	राहुल सिंह	राहुल
23-	नन्दल राम	नन्दल
24-	उमाल सिंह	उमाल

